संख्या-28/2018/976जेएल/22-3-18-200(1)/2018

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
आदर्श कारागार,
लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 11 मई, 2018***

विषय- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध बंदियों को स्वीकृत 15 दिन के गृह अवकाश की अवधि में 15 दिन की वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-13/2018/404जेएल/22-3-18-200(1)/2018, दिनांक 20-03-2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश के क्रम में निम्नलिखित 02 बंदियों द्वारा किये गये अनुरोध पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उनको पूर्व स्वीकृत 15 दिन के गृह अवकाश में अग्रेतर 15 दिन की वृद्धि एतदद्वारा स्वीकृत की जाती है :-

क्र0स0	बंदी एवं उसके पिता का नाम	जनपद का नाम	बंदी संख्या
1	अशोक कुमार पुत्र श्री रामदयाल	गाजीपुर	17028
2	मनोज कुमार पुत्र श्री राजनाथ	गाजीपुर	17113

भवदीय,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

संख्या-28/2018/976जेएल(1)/22-3-18-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री कारागार विभाग, उ0प्र0।
2- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।